

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) सत्यनारायण

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

राजेश कुमार ..... उनवान .....  
बनाम ..... राजनारायण हारा ..... शक्ति तहसील 211/22

दावा बाबत प्राथमिक नाम डिक्री U/S 88 RTA


मुकदमा नम्बर :- 72  
निर्णय दिनांक :- 16.05.22

वादी की ओर से सत्यनारायण की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.05.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा जारी स्वीकार किया जाता है कि शही गुज्रित श्री सत्यनारायण की जमाबन्दी के खता नं 256 खसला नम्बर 157 में अहित राजेश कुमार बजरगल के खान पर राजेश कुमार पुत्र बजरगल खान नाम डिक्री करने की व्यापार की जाती है। तहसीलदार चूरु 34 वानुसार राजनारायण अभियान में अमल दायर करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
( सत्यनारायण )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

**वाद के खर्चे**

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



जा 1291  
16/05/2022